



2026:AHC-LKO:20022

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट-ए संख्या - 3009 वर्ष 2026

विनोद कुमार सोनी एवं 14 अन्य

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (चिकित्सा, स्वास्थ्य

एवं परिवार कल्याण), लखनऊ एवं 10 अन्य

....

प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार गुप्ता, बीरेंद्र कुमार
यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गुप्ता तथा विरोधी पक्षकारों के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना ।
2. वर्तमान याचिका दिनांक 04.02.2026 के आदेश को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया है तथा समायोजन/वसूली का भी निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. यह प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नगत आदेश का मात्र अवलोकन करने से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त आदेश केवल कुछ आख्याओं के आधार पर पारित किया गया है, बिना याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ सूचना प्रदान किए तथा बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किए।

4. चूँकि लाभों के अस्वीकार के कारण स्वयं प्रश्नगत आदेश में ही दर्शाए गए हैं, अतः प्रति शपथपत्र दाखिल किए जाने की आवश्यकता, **मोहिंदर सिंह गिल एवं अन्य बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य**, दर्ज एआईआर 1978 एससी 851 में प्रदत्त निर्णय के अनुसार समाप्त की जाती है।

5. इस वाद में राज्य के अधिवक्ता को कोई लिखित निर्देश प्रदान नहीं किए गए हैं।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, विशेषतः प्रश्नगत आदेश, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त आदेश कुछ पत्रों/ आख्याओं के आधार पर, जो वेतन निर्धारण में त्रुटि दर्शाते हैं, पारित किया गया है तथा उसी के आधार पर याचिकाकर्ताओं का वेतनमान पुनर्निर्धारित किया गया है और वसूली/समायोजन का भी निर्देश दिया गया है।

7. इस न्यायालय के विचारित मत में, जब याचिकाकर्ताओं को पूर्व में प्रदान किया गया लाभ वापस लिया जा रहा था अथवा निरस्त किया जा रहा था तथा साथ ही वसूली का भी निर्देश दिया जा रहा था, तब विरोधी पक्ष पर यह अनिवार्य था कि वे याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान करें, जबकि प्रश्नगत आदेश प्रत्यक्षतः एकपक्षीय आधार पर पारित किया गया है।

8. याचिकाकर्ता, कथित रूप से तृतीय श्रेणी कर्मचारी होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राज्य पंजाब एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) एवं अन्य**, दर्ज (2015) 4 एससीसी 334 में प्रदत्त निर्णय के दायरे में आते हैं।

9. **राज्य पंजाब एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर) एवं अन्य** के वाद में, इस न्यायालय ने निम्नवत् धारित किया:-

"18. उन सभी कठिनाइयों की परिस्थितियों का प्रतिपादन करना संभव नहीं है जो वसूली के प्रश्न पर कर्मचारियों को प्रभावित कर सकती हैं, जहाँ नियोक्ता द्वारा उनकी पात्रता से अधिक भुगतान त्रुटिवश कर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिया गया हो। तथापि, उपर्युक्त उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक त्वरित संदर्भ के रूप में निम्नलिखित कुछ परिस्थितियों का सार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली विधि में अनुमन्य नहीं होगी:

(i) तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (अथवा समूह-ग एवं समूह-घ सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, अथवा ऐसे कर्मचारियों से जो वसूली के आदेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हों, वसूली।

(iii) कर्मचारियों से वसूली, जब अतिरिक्त भुगतान वसूली के आदेश जारी होने से पूर्व पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया गया हो।

(iv) ऐसे मामलों में वसूली, जहाँ किसी कर्मचारी से अनुचित रूप से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन कराया गया हो और उसके अनुसार उसे भुगतान किया गया हो, जबकि विधिपूर्वक उससे निम्न पद पर कार्य कराया जाना अपेक्षित था।

(v) किसी अन्य ऐसे मामले में, जहाँ न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कर्मचारी से वसूली किया जाना इतना अन्यायपूर्ण अथवा कठोर अथवा मनमाना होगा कि वह नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगा। (प्रभाव वर्धित)"

10. उपर्युक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.02.2026 को इस प्रकार उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी कर निरस्त किया जाता है तथा विरोधी पक्षों को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वे याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ सूचना जारी कर, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथा उनके उत्तर पर विचार करने के पश्चात, नवीन आदेश पारित करें। प्राधिकारी, जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, **रफ़ीक़ मसीह (व्हाइट वॉशर)** और अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को भी ध्यान में रखेगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. परिणामस्वरूप, याचिका सफल होती है एवं ग्राह्यता स्तर पर ही स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपने-अपने व्यय वहन करेंगे।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

19 मार्च, 2026

सुबोध/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।